5 रु. कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

182

प्र.कं. /2016 पुनरीक्षण -1- R 4160 - I - 16

719
7-12-16

श्री [illegible] द्वारा आज दि 7-12-16 को प्रस्तुत

7-12-16
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मेमुना पत्नी अख्तर मुसलमान
निवासी वार्ड कं. 7 बालापुरा श्योपुर
तह. व जिला श्योपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, श्योपुर

.... अनावेदक

WS
मुकेश मालवि
07-12-16 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्र.कं. 02/2016–17/ स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं की जा रही कार्यवाही अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, वाद भूमि सर्वे कमांक 469, 470/1, 470/2, 471/1 कुल रकवा 1.233 है. भूमि का आवेदक को तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण कमांक 57/2000–01/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11.12.01 से आवेदक का नाम अपने पति के साथ संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज किया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4160–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–12–2016	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 02/2016–17/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि कलेकटर श्योपुर का पत्र कं. /रीडर/2016/8745 श्योपुर दिनांक 30.08.2016 के प्रतिवेदित किया है कि शिकायतकर्ता ने आवेदन प्रस्तुत कर श्योपुर की भूमि सर्वे कमांक 469, 470/1, 470/2, 471/1 कुल रकवा 1.233 है0 भूमि को मेमुना पत्नी अख्तर द्वारा प्र.कं. 57/2000–01/अ–19 आदेश दिनांक 11.12.2001 का हवाला देकर राजस्व अभिलेख में फर्जी इन्द्राज किये जाने से संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निवेदन किया। कलेक्टर श्योपुर के पत्र कम में शिकायतकर्ता के आवेदन के आधार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर श्योपुर ने स्वमेव निगरानी में प्रकरण दर्ज कर आवेदक को अपनी आदेश पत्रिका दिनांक 18.10.2016 को नोटिस जारी किया। इसी आदेश पत्रिका के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर श्योपुर को म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में किये गये नवीन संशोधन दिनांक 30.12.2011 से किसी पक्षकार के आवेदन पर अथवा स्वयं के द्वारा स्व. निगरानी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा स्व. निगरानी में प्रकरण दर्ज कर की जा रही कार्यवाही अधिकारिता रहित है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि प्रकरण क्रमांक 57/2000–01/अ–19 दायरा पंजी में नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि दायरा पंजी क्रमांक 57 पर उपरोक्त प्रकरण विधिवत रूप से दर्ज है। दायरा पंजी की प्रमाणित प्रति की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थितिमें अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित नहीं है वाद भूमि सर्वे क्रमांक 469, 470/1, 470/2, 471/1 कुल रकवा 1.233 है0 भूमि का आवेदक को तहसीलदार श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 57/2000–01/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2001 से आवेदक को पति अख्तर के साथ संयुक्त रूप से भूमि बंटन में प्राप्त हुई थी जिस पर समय के रहते हुये भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाने से राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर नाम दर्ज हो गये। वाद भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर श्योपुर ने अख्तर के विरूद्ध प्र.क्रं. 33/15–16/बी–121 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की थी। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्र.क्रं. 3177–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर श्योपुर की कार्यवाही निरस्त की है। इसी प्रकार वाद भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्र.क्रं. 58/15–16 अपील माल में दर्ज कर आवेदक एवं उसके पति अख्तर के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की थी उक्त	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4160–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कार्यवाही के विरूद्ध आवेदक एवं अख्तर ने माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की है जो प्र.कं. 2021–एक/16 निगरानी पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में स्थगन आदेश जारी होकर प्रकरण लंबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मनमाने तरीके से कार्यवाही एवं आदेश किये जा रहे हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध कीजा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 5– अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर कार्यवाही की जा रही है आवेदक को उनके समक्ष अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्राप्त है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा संचालित कार्यवाही को स्थिर रखते हुये वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । 6– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा अभिलेख का विधिवत अवलोकन किये बिना एवं भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में किये गये नवीन संशोधन आदेश दिनांक 30.12.2011 से किसी पक्षकार के आवेदन पर अथवा स्वयं के द्वारा स्व. निगरानी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार श्योपुर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के दायरा रजिस्टर में प्रकरण कमांक 57 पर आवेदक का नाम अपने पति अख्तर के साथ संयुक्त रूप से विधिवत दर्ज हैं इस संबंध में दायरा रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि की फोटोप्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकरण पंजी में दर्ज है। जिसके पश्चात समय के रहते हुये उपरोक्त भूमि पर आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये हैं प्रस्तुत खसरा वर्ष 2016–17 में भी आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है अपर कलेक्टर श्योपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा एक ही वाद भूमि एवं एक ही दायरा पंजी तहसील न्यायालय प्र.कं. 57/2000–01/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2001 के विरूद्ध आवेदक मेमुना एवं पति अख्तर के विरूद्ध पृथक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है। इसी बाद भूमि के संबंध में अपर कलेक्टर श्योपुर ने उक्त प्रकरण के पूर्व प्र.कं. 33/15–16/बी–121 पंजीबद्ध कर आवेदक के पति अख्तर के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की थी जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्र.कं. 3177–1/16 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय के प्र.कं. 57/2000–01/अ–19 दायरा पंजी को वैध व सही होने की पुष्टि की गई है व अपर कलेक्टर श्योपुर की कार्यवाही को निरस्त की गई थी ऐसी स्थिति में जिस बाद बिन्दु पर इस न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण कर दिया है तब उसी बाद बिन्दु पर पुनः अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्र.कं. 02/16–17/स्व. निगरानी एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्र.कं. 58/15–16 अपील माल में सुनवाई नहीं की जा सकती ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा इस	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4160–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 की अवहेलना करते हुये संचालित कार्यवाही एवं पारित आदेश विधिवत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 02/2016–17/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.10.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्र.कं. 58/15–16 अपील माल पंजीबद्ध कर संचालित कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त की जाती है एवं आवेदक का पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। सदस्य	